<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4588

22 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

रावघाट में लौह अयस्क

4588. श्री मोहन मण्डावीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले में स्थित रावघाट लौह अयस्क खदानों के लौह अयस्क के छहः खंडों में लगभग 713 मिलियन टन लौह अयस्क के उत्पादन की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भारत सरकार के उपक्रम-भारतीय इस्पात प्राधिकरण अर्थात् सेल के माध्यम से लौह अयस्क समृद्ध रावघाट खदानों में खनन गतिविधियाँ शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रावघाट परियोजना के अंतर्गत खनन में बाधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रावघाट में लौह अयस्क का खनन नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रावघाट परियोजना के संचालन का अवसर समृद्ध एजेंटों और मध्यस्थों के बजाय स्थानीय बेरोजगारों को दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): छत्तीसगढ़ के कांकेर/नारायणपुर जिले के रावघाट क्षेत्र में 6 डिपॉजिट्स हैं नामतः "ए", "बी", "सी", "डी", "ई" और "एफ" डिपॉजिट, जिनमें 700 एमटी से ज्यादा भूगर्भीय लौह अयस्क भंडार होने के संकेत मिले हैं।

(ख): इन 6 डिपॉजिटों में से डिपॉजिट-एफ, जिसमें लगभग 511 एमटी भूगर्भीय लौह भंडार हैं, जिनका क्षेत्र 2028.797 हेक्टेयर है, खान मंत्रालय द्वारा सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। क्षेत्र के लिए सांविधिक मंजूरी के अनुमोदन के बाद खनन लीज जारी कर दी गई है।

(ग) और (घ): इस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था मुद्दों [लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिस्ट (एलडब्ल्यूई) से बाधाएं] के कारण, रावघाट में खनन विकास गतिविधियाँ शुरू में प्रगति नहीं कर पाईं।

(ङ): खानों के विकास और संचालन के लिए खान विकासक सह संचालक (एमडीओ) नियुक्त किया गया है। सेवा अनुबंधों के अनुसार, एमडीओ का यह दायित्व है, कि वह योग्य स्थानीय व्यक्ति को खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए नियुक्त करे।

(च): मंत्रालय यह जानकारी नहीं रखता।

****